



झारखंड सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
अधिकार अभिलेख

रैयत का नाम, अभिभावक का नाम, रिश्ता											
नगेन्द्र नाथ मंडल वो वंकीम मंडल, पिता-हांडीराम मंडल एक अंश समान, जाति-., निवासी- व प्रफुल्ल मंडल,साठीवाला मंडलाईन, पति-पंचानन्द मंडल एक अंश, जाति-सुड़ी, निवासी-निज ग्राम											
जिला का नाम	धनबाद	अंचल का नाम	धनबाद	हलका का नाम	हलका-02	मौजा का नाम	कोलाकुशमा	खाता का प्रकार	रैयती		
खेवट नम्बर	खाता नम्बर 236			थाना का नाम	थाना नम्बर 12						
खाता नम्बर	खेसरा नम्बर	चौहद्दी उत्तर 3 चौहद्दी दक्खिन 4	किस्म जमीन	मिजान		कैफियत / अभ्युक्ति	हाकिम के तहकीकात मुताबिक लगान/सेस	लगान			खास शर्त
(1)	(2)	(3)	क्रियारी संख्या (5)			(8)	(9)	रौ (10)	आ (11)	पै (12)	(13)
236	3364	? अनबाद बिहार सरकार ? भोलानाथ	बाईद 0	0.000 एकड़	20.000 डिसमील		काविल लगान	0	0	0	क
	3421	? श्रीपति मंडल ? लगन	बाईद 0	0.000 एकड़	7.000 डिसमील		काविल लगान				क
खाता मे कुल प्लोट संख्या		2	खाता का कुल मिजान (खतियान के अनुसार)		0.000 27.000	खाता का कुल लगान		0 0 0			

यह एक कंप्यूटर जनित प्रति है

11/28/2022

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।

**Form 1**

Maintenance of records Form of Continuous Khatian to be maintained by the Anchal Adhikari under Section 3(1)

(See Rule 4)

Continuous Khatian

Anchal- धनबाद Rev P.S- झरिया State of- झारखण्ड Police Station- झरिया R.T.No 12 Khata Type रैयती

खाता नम्बर	रैयत का नाम, पिता का नाम एवम जाति	प्लॉट संख्या	चौहद्दी	ए	डे	हे	लगान	कैफियत / अभ्युक्ति	भाग वर्तमान/ पृष्ठ संख्या
236	नगेन्द्र नाथ मंडल वो वंकीम मंडल , पिता-हांडीराम मंडल, जाति- . एवं प्रफुल्ल मंडल , पिता-पंचानन्द मंडल, जाति- . एवं साठीवाला मंडलाईन , पति-पंचानन्द मंडल, जाति- .	3364		0 ऐ	13 डि	3.87 हे	7		1 / 235
		3421		0 ऐ	7 डि	0 हे			
236	श्री अशोक शर्मा , श्री अरुण कुमार शर्मा , पिता- हरी राम शर्मा, जाति- ----	3364		0 ऐ	6.6 डि	0 हे	7	नामान्तरण मुकदमा संख्या 1604/2022 - 2023	20 / 47

यह एक कंप्यूटर जनित प्रति है

11/28/2022

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।

